भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फ़ाइल सं. 25-20011/3/2022-नॉटिकल-नौमनि   दिनांक: 15.02.2022

नौमनि परिपत्र संख्या 2022 का 04

विषय: प्रमुख एवं गैर-प्रमुख पत्तनों के पोर्ट फैसिलिटी सेक्यूरिटी एड्वाइसरी कम्मिट्टि(पीएफएसएसी) का संघटन-संबंधी

1. पोर्ट फैसिलिटी सेक्यूरिटी एड्वाइसरी कम्मिट्टि(पीएफएसएसी) के संघटन के संबंध में निदेशालय ने दिनांक 25.12.2012 के परिपत्र संख्या एनटी/आईएसपीएस/06/2012 जारी किया था।
2. इस मामले में उक्त परिपत्र के एवं अन्य पिछले पत्रों के अधिक्रमण में, निम्नलिखित में से प्रत्येक में से एक उपयुक्त प्रतिनिधि पीएफएसएसी में शामिल होगा:-
    - संबंधी पत्तनों के पोर्ट फैसिलिटी सेक्यूरिटी ऑफिसर(पीएफएसओ)
    - सीमा शुल्क विभाग
    - स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)
    - केंद्रीय आसूचना एजंसियाँ(आईबी)
    - राज्य आसूचना एजंसियाँ
    - केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल(सीआईएसएफ)
    - स्थानीय पुलिस
    - आप्रवासन विभाग
    - भारतीय नौसेना
    - भारतीय तटरक्षक बल
    - संबंधित पत्तन के अध्यक्ष/सीईओ द्वारा उचित समझे गए,सरकार[केंद्रीय/राज्य] का अन्य कोई संबंधी एजंसी
3. प्रमुख पत्तन के अध्यक्ष पीएफएसएसी समिति के अध्यक्ष बनेंगे एवं पीएफएसएसी की बैठक की अध्यक्षता संभालेंगे।
4. गैर-प्रमुख पत्तनों में, गैर-प्रमुख पत्तन के कामकाज़ हेतु ज़िम्मेदार समुद्रीय बोर्ड/राज्य सरकार के अध्यक्ष, अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी पत्तनों के पीएफएसएसी की अध्यक्षता करेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों के मामले में कुछ छोटे पत्तनों के पीएफएसएसी की बैठक समुद्रीय बोर्ड/राज्य सरकार के

सीईओ/सचिव के नामांकित व्यक्ति की अध्यक्षता में की गई, पीएफएसएसी की रिपोर्ट सीईओ/सचिव द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

5. पत्तन की सुरक्षा समीक्षा हेतु हर तीन महीने में एक बार पीएफएसएसी की बैठक ज़रूरी है। यदि आवश्यक हो तो पीएफएसएसी संबंधित पत्तन के खतरे की धारणा के आधार पर अधिक लगातार अवधियों में मिल सकते हैं।
6. नवगठित पीएफएसएसी पत्तन के अनुमोदित पोर्ट फैसिलिटी सेक्यूरिटी प्लैन(पीएफएसपी) की समीक्षा करेगी। पीएफएसपी से संबंधित एनसीबी एवं सीमा शुल्क के सुझाव पीएफएसएसी द्वारा माना जाएगा। पीएफएसएसी द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित सुधार पीएफएसपी में शामिल किया जाएगा और आईआरएस द्वारा समीक्षा के पश्चात परीक्षा एवं अनुमोदन हेतु क्षेत्राधिकार वाले सवावि में भेजे जाने की आवश्यकता है।
7. नए पत्तन के मामले में, पत्तन में पीएफएसएसी के संघटन की आवश्यकता है। पत्तन हेतु पीएफएसपी बनाते समय सभी पीएफएसएसी सदस्यों से प्राप्त जानकारी/सुझाव लेना आवश्यक है। इन संगठनों के सदस्य पीएफएसएसी में यह सुनिश्चित करेंगे कि पीएफएसपी में उनके प्रश्नों/चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है। आईआरएस द्वारा समीक्षा के पश्चात जांच एवं अनुमोदन हेतु क्षेत्राधिकार वाले सवावि को प्रस्तुति हेतु भेजने से पूर्व पीएफएसएसी द्वारा पीएफएसपी कि जांच किया जाना आवश्यक है।
8. पीएफएसपी के समीक्षा के पश्चात जैसे लागू हो, वार्षिक जांच या एसओसी को जारी करने हेतु सुरक्षा लेखा परीक्षा के लिए संबंधित सवावि से संपर्क करने की आवश्यकता है।
9. इसे नौवहन महानिदेशक एवं अपर सचिव, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

नितिन मुकेश

(कप्तान नितिन मुकेश)
नॉटिकल सर्वेक्षक-सह-उपनौमनि(तकनीकी)